समस्त राजस्थान।

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

(जी.3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी–स्कीम जयपुर–302005)
Tele No.:+91-141-2222403 | Fax No.: +91-141-222403 | web site: www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः सीएमएआर / 2022 / IRGY-Urban / Award Ceremony / 5049–5289 दिनांकः 04/11/2022

आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी
नगर निगम / परिषद / पालिका
समस्त राजस्थान।

विषयः– इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत वार्षिक मुल्यांकन एवं पुरस्कार के संबंध में।

माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुसरण में राज्य के शहरी क्षेत्रों की नगरीय निकायों की सीमा में निवास करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सम्बल प्रदान करने हेतु "मनरेगा" की तर्ज पर राज्य के नगरीय क्षेत्रों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गांरण्टी योजना (IRGY-Urban) लागू की गई है।

राज्य सरकार द्वारा उक्त योजना में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में समस्त नगरीय निकायों में संचालित उक्त योजना के अन्तर्गत किये गये कार्यों का वार्षिक मूल्यांकन कर नगरीय निकाय को उत्कृष्ट कार्य हेतु पुरस्कृत किये जाने का निर्णय लिया गया। मूल्यांकन एवं पुरस्कार के संबंध में दिशा–निर्देश जारी कर समस्त नगरीय निकायों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त दिशा–निर्देशों एवं निर्धारित प्रारूप में योजनान्तर्गत किये गये कार्यो की सूचना निदेशालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करावें।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांकः सीएमएआर / 2022 / IRGY-Urban / Award Ceremony / 5290 – 5302 दिनांकः 04/11/2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एंव संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
4. उपनिदेशक (क्षेत्रीय),स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, निदेशालय।
6. अधीक्षण अभियन्ता, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गांरण्टी योजना (IRGY-Urban), निदेशालय।
7. सुरक्षित पत्रावली।

मुख्य अभियन्ता (IRGY)

इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत वार्षिक मुल्यांकन एवं पुरस्कार हेतु दिशा–निर्देश

1.0 माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 के बजट घोषणा के अन्तर्गत इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरूआत की गई है। "इस योजना के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2022–23 से शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को उनके द्वारा मांगे जाने पर प्रतिवर्ष 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। चूंकि उक्त योजना शहरी क्षेत्र में निवास कर रहे जरूरतमंद परिवारों को गारंटीशुदा रोजगार उपलब्ध करा उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने हेतु एक महत्वाकांक्षी प्रयास है।

2.0 उक्त योजना की सफल क्रियान्विति एवं इस दिशा में अधिक प्रयास किये जाने हेतु प्रोत्साहित किये जाने की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा उत्कृष्ट कार्य हेतु निकायों को पुरस्कृत किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त हेतु नगरीय निकायों द्वारा योजना के तहत जारी मार्ग–निर्देशिका में वर्णित दिशा–निर्देशों के तहत किये गये कार्य का आंकलन किया जावेगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में पुरस्कार 3 स्तर पर (नगर निगम, परिषद एवं नगरपालिका) प्रदान किये जावेगें। इस बाबत् निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग द्वारा आवेदन प्राप्त कर मूल्यांकन किया जावेगा।

3.0 मूल्यांकन हेतु कार्यो की सूची:–

क्र.सं.	कार्य	मूल्यांकन (%)
1.	कार्य की मस्टरोल, माप पुस्तिका, कार्य का आंकलन प्रमाण–पत्र निर्धारित समयावधि में पूर्ण करना	30
2.	अधिकाधिक श्रमिकों का नियोजन	25
3.	निर्धारित समय पर भुगतान की व्यवस्था	10
4.	सर्वोतम प्रक्रिया (Best Practices)– IRGY Urban	15
5.	परिवारों को जारी जॉब कार्ड की संख्या	10
6.	निकायों को आवंटित बजट का व्यय	10
	कुल	100

4.0 समस्त नगरीय निकाय निर्धारित प्रपत्र में उक्त सूची अनुसार सूचनाऐं मय संबंधित दस्तावेज निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करेगें।

5.0 प्रेषित किये जानी वाली सूचनाऐं संबंधित जिला कलक्टर (जिला परियोजना समन्वयक–IRGY Urban) की अभिशंषा प्राप्त कर प्रेषित किये जावेगे। प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन योजना के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जावेगा।

6.0 उक्त योजना में पुरस्कृत राशि/प्रमाण पत्र आदि निम्नानुसार निर्धारण होगाः–

क्र.सं.	घटक	पुरस्कृत राशि/प्रमाण पत्र
1.	सर्वश्रेष्ठ निगम–एक	5.00 लाख रूपये व प्रमाण पत्र
2.	सर्वश्रेष्ठ नगर परिषद (प्रथम तीन)	3.00 लाख रूपये व प्रमाण पत्र (प्रत्येक)
3.	सर्वश्रेष्ठ नगर पालिका (प्रथम पांच)	1.00 लाख रूपये व प्रमाण पत्र (प्रत्येक)

उपरोक्त पुरस्कृत राशि का वहन निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग में गठित सिटी मैनेजर्स एशोसियेशन, राजस्थान के माध्यम से किया जावेगा।

7.0 प्रपत्र

	निकाय का नाम	
1.	कार्य की मस्टरोल, माप पुस्तिका, कार्य का आंकलन प्रमाण–पत्र निर्धारित समयावधि में पूर्ण करना	......................(विस्तृत विवरण)
2.	अधिकाधिक श्रमिकों का नियोजन	............................(संख्या)
3.	निर्धारित समय पर भुगतान की व्यवस्था	......................(विस्तृत विवरण)
4.	सर्वोतम प्रक्रिया (Best Practices)– IRGY Urban	......................(विस्तृत विवरण मय फोटो)
5.	परिवारों को जारी जॉब कार्ड की संख्या	............................(संख्या)
6.	निकायों को आवंटित बजट का व्यय	......................(प्रतिशत)
7.	संबंधित जिला कलेक्टर (जिला परियोजना समन्वयक IRGY- Urban) से प्राप्त अभिशंषा	हॉ/नहीं

हस्ताक्षर
आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी